2019/00180

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 186/2019

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| चन्दनसिंह भाटी पुत्र श्री अनोपसिंह भाटी<br>जाति–राजपूत<br>निवासी–पल्ली<br>तहसील–लोहावट<br>जिला–जोधपुर | | तहसीलदार लोहावट |

| तारीख हुक्म | | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20/11/19 | आज न्यायालय हाजा में उनवान पत्रावली पेश हुई प्रार्थी स्वयं उपस्थित, प्रार्थी ने निवेदन किया कि पत्रावली में अप्रार्थी की ओर से सकारात्मक रिपोर्ट पेश की है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।<br><br>पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेज, अप्रार्थी की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थी ने दिनांक 21–6–2019 को जन सुनवाई कैम्प भीकमकोर में सेग्रीगेशन के तहत हिस्साकशी सही दर्ज कराने के लिए आवेदन पेश किया कि ग्राम पल्ली द्वितीय के खसरा नं. 1361 रकबा 111 बीघा 19 बिस्वा भूमि वक्त सैटलमेंट खतौनी बंदोबस्त के अनुसार फूसा, रूघा, हरदास पिसरान गुला कौम विश्नोई बकाश्त धौंकल वल्द भाकर कौम विश्नोई साकिन देह के नाम से खातेदारी में दर्ज थी जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि में फूसा का 1/3 हिस्सा, रूघा का 1/3 हिस्सा एवं गुला का 1/3 हिस्सा था एवं बकाश्त धौंकल पुत्र भारता दर्ज था उसके पश्चात् जमाबंदी संवत 2049 से 2052 की जमाबंदी में बकाश्त के स्थान पर बक्सा, धौंकल पुत्र भारता दर्ज कर दिया जो लिपिकीय त्रुटि है, उक्त भूमि के 1/3 हिस्सा के खातेदार भारमल, खींया पिसरान हरदास ने 1/3 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अनोपसिंह को बेचान कर दी जो वर्तमान में चन्दनसिंह पुत्र अनोपसिंह 2/9 हिस्सा व गोपालसिंह पुत्र अनोपसिंह 1/9 हिस्सा चालू जमाबंदी में दर्ज है तत्पश्चात 1/3 हिस्से के खातेदार धनीया पुत्र | |

उप खण्ड अधिकारी
फलोदी (जोधपुर)

रूघा ने अपने 1/3 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि बाधुदेवी को बेचान कर दी जो उसके नाम दर्ज है तथा 1/9 के हिस्सेदार भोजाराम व बाधु ने मिलकर 4/9 हिस्से की भूमि सन्तोषकंवर व सुरेन्द्रकंवर को बेचान कर दी जिसके बेचान की नकल पत्रावली में उपलब्ध है इस प्रकार से प्रार्थीगण सन्तोषकंवर व सुरेन्द्रकंवर का 1/9 हिस्सा दर्ज किया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार लोहावट ने प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बंध में बिन्दुवार स्वीकार कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि की है प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम पल्ली के खसरा नं. 1361 के राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से बकाश्त की प्रविष्टि को बिना किसी विधिक आदेश के बकसा में परिवर्तित कर राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज किया जाना पाया जाता है सहखातेदार सन्तोषकंवर व सुरेन्द्रकंवर का प्रार्थना पत्र में वर्णित हिस्सा होना पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय विलेख की प्रति से स्पष्ट है और इसी प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी मौका पर हिस्सा भी कब्जे काश्त अनुसार होना बताया है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात और अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

## आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाताहै ग्राम पल्ली द्वितीय तहसील लोहावट के खसरा नं. 1361 रकबा 111 बीघा 19 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त किया जाकर बकसा नाम की प्रविष्टि को हटाने के आदेश दिये जाते है और उक्त भूमि में सहखातेदार सन्तोषकंवर पत्नि चन्दनसिंह व सुरेन्द्रकंवर पत्नि पर्वतसिंह का 4/9 हिस्सा दर्ज कर खाता में हिस्साकशी दर्ज की जावे तहसीलदार लोहावट निर्णय की पालना करे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20/11/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फलोदी

उप खण्ड अधिकारी
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2019.12.11 14:23:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: